

पञ्जाबी) का अन्वेषण किया गया।

उपरोक्त दिने 26/10/2016 को

द्वि लेने के बाद ही वापि

द्वारा उन्निवापिगण की तलकी पूर्ण

नही सम्पाद्वि गई है। उपरोक्त 06

वर्ष से तलकी में निष्प्राप्ति है।

इससे स्पष्ट है कि वापि एवं

पकील वापि अपने चार के उत्ति

जम्मीर नही है। उपरोक्त अनुगण्युक्त

कामिलत चल रहा है।

अतः आदेश 9 विपम 05 सीपीसी

के तहत वापि एवं पकील वापि

अपने चार के उत्ति जम्मीर नही लेने

तथा न्यायालय आदेश की पालना नही

करने के कारण वापि का चार इसी

रूप पर अद्य पालना में जारी

किया जाता है। पञ्जाबी कौन्सिल (उत्तर)

ब्लेकट काजिल कौन्सिल है। आदेश

उत्ते न्यायालय में बनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

उत्तर
(कई उत्तर)